रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2011/भाद्र 31, 1933

No. 527] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2011/BHADRA 31, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 710(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25, की उप-धारा (1), उप-धारा (3), उप-धारा (3), उप-धारा (5) और उप-धारा (8) और धारा 610क, धारा 610ख, और धारा 610ङ के साथ पठित धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विनियमन 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियम का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये 25-9-2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विनियमन, 1956 (जिसे इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 17 में,

(क) उपविनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा अर्थात् :-

"अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण या अभिलेख पर लेने या अस्वीकृत करने अथवा उससे अन्यथा के लिए किसी दस्तावेज को, उसे फाइल करने की तारीख से 60 दिन से अधिक तक लंबित नहीं रखा जाएगा, सिवाय उस दशा को छोड़कर जिनमें केन्द्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक या कम्पनी विधि बोर्ड या न्यायालय या किसी अन्य समक्ष प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है।";

(ख) उपविनियम (8) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2/13/2011-सीएल- V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में तारीख 18 फरवरी, 1956 को का.नि.आ. 432(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 453(अ) तारीख 14 जून, 2011 द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22th September, 2011

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (5) and (8) of Section 25 and sub-section (2) of Section 609 read with Sections 610A, 610B, and 610E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force with effect from 25-9-2011.

2. In the Companies Regulations, 1956, in Regulation 17 (hereinafter referred to as the principal regulations), —

(a) For sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"Except as otherwise provided in the Act, the Registrar shall not keep any document pending for approval and registration or for taking on record or for rejection or otherwise for more than sixty days, from the date of its filing excluding the cases where approval from the Central Government or Regional Director or Company Law Board or Court or any other competent authority is required.";

(b) sub-regulation (8) shall be omitted.

[F. No. 2/13/2011-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* S.R.O. 432(E), dated the 18th February, 1956 and last amended by G.S.R. 453(E), dated the 14th June, 2011.

3559 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.